

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 516 / 2025

1. कृष्णलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

- 1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी


डिक्री

दिनांक 13/2/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं0 4 एनजीआर के खाता सं0 155/87 में दर्ज वादी का नाम कृष्ण पुत्र गणपतराम के स्थान पर सही नाम कृष्णलाल पुत्र गणपतराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायलय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।